

सं. वीपीएस-27/01/2024-प्रशासन  
उपराष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली

06 नवम्बर, 2024

कार्यालय आदेश सं. 126/2024

विषय: कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (यौ.उ. अधिनियम) के तहत आंतरिक समिति का गठन।

इस सचिवालय के कार्यालय आदेश सं. 16/2023 दिनांक 01 फरवरी, 2023 के क्रम में उपराष्ट्रपति सचिवालय की शिकायत निवारण समिति का पुनर्गठन 01 नवम्बर 2024 से किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. श्रीमती सरिता चौहान, अवर सचिव - अध्यक्ष
2. श्री आशीष आनंद, अनुभाग अधिकारी - सदस्य
3. श्रीमती सुनीता खैस, टेलीफोन ऑपरेटर - सदस्य
4. सुश्री नीतू बिष्ट, सचिवालय सहायक, राज्य सभा - सदस्य

  
(चन्दन दीक्षित गोली)  
अवर सचिव

प्रतिलिपि:

1. सभी संबन्धित अधिकारी।
2. एनआईसी अनुभाग, आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. नोटिस बोर्ड।

\*\*\*\*\*